174/सं0 प्र0 नि0 (ग्रामीण)/102/21 दिनांक – 07/10/2021 (4)

उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) निदेशक मण्डल की प्रथम बैठक दिनांक 07.10.2021 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :–

1. श्री अनुराग श्रीवास्तव, अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. श्री प्रियरंजन कुमार (अधिकृत प्रतिनिधि), अपर मुख्य सचिव(वित्त), उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
3. श्री ऋषिकेश दूबे, विशेष सचिव (नियोजन विभाग), उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।
4. श्री सुशील कुमार पटेल, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
5. श्री अखण्ड प्रताप सिंह, संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
6. श्री अश्वनी सिंह, स्टेट कन्सलटेन्ट, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ ।
7. श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
8. श्रीमती अर्चना जैन, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
9. श्री जी0पी0 शुक्ला, मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
10. श्री गंगाराम गुप्ता, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ ।

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा निदेशक मण्डल के समस्त मा0 सदस्यों का स्वागत किया गया । नवनियुक्त मा0 अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), संयुक्त प्रबन्ध निदेशक(ग्रामीण), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) एवं वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) की तैनाती से अवगत कराया गया तथा उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु बधाई दी गयी । अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन द्वारा श्री प्रियरंजन कुमार, वित्त निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ को अपर मुख्य सचिव (वित्त) के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने हेतु अधिकृत किया गया । निदेशक मण्डल की बैठक का कोरम पूर्ण पाया गया । प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्नवत निर्णय लिये गये :

क्र0सं0	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
01.01	उ0प्र0 जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संबंध में अधिसूचना संख्या–800 / 79–वि–1–21–1–क–29–21 दिनांक 24.08.2021 एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के ज्ञाप सं0 2527 / छिहत्तर–1–2021–12 सम / 2021टी.सी. लखनऊ दिनांक 15.09.2021, ज्ञाप सं0 2561 / छिहत्तर–1–2021–12 सम / 2021टी.सी. लखनऊ दिनांक 17.09.2021 व शुद्धि पत्र सं0 2527(3) / छिहत्तर–1–2021–12 सम / 2021टी0सी0 लखनऊ दिनांक 27.09.2021 को उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) में अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल को अवलोकनार्थ कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया
01.02	उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2021 के संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के निदेशक मण्डल की बैठक में भाग लेने हेतु नामित मा0 सदस्यों के संबंध में अवलोकनार्थ कराये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अवलोकित किया गया

7-10-21

क्र0सं0	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
01.03	मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)/अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता के पदों पर कार्यवाहक व्यवस्था के अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान करते हुये अधिकृत किये जाने के संबंध में नीति निर्धारण हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि जिनको वृहद दण्ड दिया गया है अथवा वृहद दण्ड की कार्यवाही प्रचलित है, को छोड़ते हुये अन्य को कार्य की आवश्यकतानुसार वरिष्ठता सूची का अनुपालन करते हुये कार्य0 मु0अभि0 (स्तर–2)/अधी0अभि0/अधि0अभि0 बनाया जाये ।
01.04	उ0प्र0 जल निगम के विभाजन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अंतर्गत नये जोन/मण्डल/खण्ड/इकाई कार्यालय सृजित किये जाने के संबंध में एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा कार्यालय सृजित किये जाने के संबंध में निम्नानुसार अनुमोदन प्रदान किया गया : 1. क्षेत्रीय कार्यालय–लखनऊ, मेरठ एवं आगरा 2. मण्डल कार्यालय (सिविल)–अलीगढ़, बांदा, बरेली, गोरखपुर एवं अयोध्या 3. मण्डल कार्यालय (वि0/यॉ0)–कानपुर 4. सिविल खण्ड/इकाई कार्यालय–अलीगढ़, एटा, हाथरस, फतेहपुर, सहारनपुर, बुलन्दशहर, गौतमबुद्धनगर, बस्ती, देवरिया, कुशीनगर, बांदा, हमीरपुर, इटावा, फर्रूखाबाद, रायबरेली, सीतापुर, सुल्तानपुर, बलरामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, रामपुर, सम्भल, आजमगढ़ एवं बलिया 5. प्रत्येक मण्डल में वि0/यॉ0 के अधि0अभि0 की तैनाती किये जाने के भी निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि उक्त क्षेत्र/मण्डल/खण्ड/इकाई कार्यालय में पूर्व की भांति स्वीकृत पदों को अंगीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जाये ।
01.05	उ0प्र0 जल निगम के विभाजन के फलस्वरूप प्रधान कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) को निम्न पद आवंटित नही किये गये है : 1.मुख्य अभियन्ता (वि0/यॉ0) – 01 2.प्रबन्धक (भूजल) – 01 3.वरिष्ठ जियाफिजिस्ट – 01 4.मुख्य लेखाधिकारी – 01 5.मुख्य आन्तरिक सम्परीक्षा अधिकारी – 01 (प्रतिनियुक्ति द्वारा) 6.वित्त विश्लेषक – 01 (प्रतिनियुक्ति द्वारा) 7.मुख्य प्रशासनिक अधिकारी – 01 8.सहायक विधि अधिकारी – 01 9.पुस्तकालयाध्यक्ष – 01 10.वरिष्ठ लैब सहायक – 01 11.कनिष्ठ लैब सहायक – 01 को सृजित किये जाने हेतु एजेण्डा नोट।	निदेशक मण्डल द्वारा सहमति दी गयी । साथ ही निर्देश दिये गये कि प्रस्तावित पदों के सृजन का अनुमोदन नियमानुसार शासन स्तर से प्राप्त किया जाये ।

7-10-21 7/10/21

क्र0सं0	एजेण्डा नोट का विवरण	लिया गया निर्णय
1	2	3
01.06	नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजनाओं हेतु आंमत्रित की जाने वाली निविदाओं की शर्तों को एन0एम0सी0जी0, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट/ट्रॉजेक्शन एडवाइजर द्वारा निर्धारित स्टैन्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट के अनुरूप रखे जाने हेतु उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), निदेशक, मण्डल के अनुमोदनार्थ एजेन्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा इस निर्देश के साथ प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी की ऐसी योजनाओं की मॉडल बिड डाक्यूमेन्ट/ट्रॉजेक्शन एडवाइजर द्वारा निर्धारित स्टैन्डर्ड बिडिंग डाक्यूमेन्ट का परीक्षण वित्त निदेशक द्वारा इस आशय से कर लिया जाये कि वित्तीय हस्तपुस्तिका में दिये गये निर्देशों का उलंघन तो नही हो रहा है ।
01.07	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में नियमावली/मैनुअल/शासनादेश आदि अंगीकृत किए जाने सम्बन्धी एजेण्डा ।	निदेशक मण्डल द्वारा यथा प्रस्तावित नियमावली/मैनुअल/शासनादेश आदि को अंगीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया ।
01.08	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के समस्त कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 01.07.2021 से 189 प्रतिशत मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में मा0 निदेशक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु एजेण्डा नोट ।	निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया ।
01.09	उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) में विभिन्न मदों की धनराशि के रख–रखाव हेतु बैंक खाते खोले जाने हेतु प्रस्ताव ।	निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी ।

7-10-21
(कन्हैया बाबू गुप्ता)
सचिव(प्रशासन)

7/10/21
(प्रियरंजन कुमार)
वित्त निदेशक

7/10/21
(सुशील कुमार पटेल)
प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक

(अनुराग श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

Seen

अध्यक्ष
उ० प्र० जल निगम (ग्रामीण)